

कार्यालय

पत्रांक: ४४६५ /न्याय सहायक /कोरोना वायरस /2020

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत करना है कि मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382 /2020 /सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821 /2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा भौहल्ला, जो भी कम हो।
(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
(3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही पलोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंकवेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
(4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/नियंत्रित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/नियंत्रित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यक्ति को ऐसे भवनों के अव्यासियों द्वारा बहन किया जाएगा।
 (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/नियंत्रित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
(5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 (i) यदि एकल-ताल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाए जाए तो ऐसा ताल सील कर दिया जाएगा।
 (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।
 ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी।
(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के ईर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 04.09.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।"

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टरेसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 133 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 40-मौ० राधानगर बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच० लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नजीमपुरा भूड़, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ० शास्त्री नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० ज्ञानलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राजनगर चॉदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० देवीपुरा-१, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला विहार-२ नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, क०पी०रोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत विहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० आर०केपुरम, बुलन्दशहर, मानसरोवर कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सूर्य नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० अराजियात, पुरानी जेल के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लोधी कालोनी, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० लाला कृष्णदयाल का अहाता, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अम्बा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, धमैडा अडडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मुंशीपाड़ा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० चौहटी लूपरकोट नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० हरी एन्कलेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० ईटा रोड़ी, नगरीय क्षेत्र

बुलन्दशहर, मौ०विजय नगर देवीपुरा-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, फतहगंज मण्डी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०शान्ती निकेतन महालक्ष्मी एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०फैसलाबाद, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०सराय गुसाई, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०कोठियात पुलिस लाईन के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच०डी०एफ०सी० बैंक के सामने शर्मा कालोनी के पिछे नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 93 हॉटस्पाट-ग्राम रहमापुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम किला मेरवई वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ० सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, कसेर कलौं वि०ख० व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम भमरा वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मढ़ैया (वराल), वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जीवत वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भिर्जापुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० पटपड़े, ग्राम मडोना, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, ग्राम नेहरूपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम लखावटी भिर्जापुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम जालखेड़ा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० लाल दरवाजा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० सराय पुखा (हनुमान चौक), नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम करैना, वि०ख० पहासू, तहसील शिकारपुर, मौ० राजाराम पटटी, नगरीय क्षेत्र स्थाना, ग्राम किसौली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा, तहसील डिबाई, लक्ष्मी बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र स्थाना, ग्राम रिवाड़ा, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ० मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० कस्सावान, नगरीय क्षेत्र डिबाई, शीला सदन गली, मौ० महादेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम शरीफपुर भैंसरोली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० पुरखा वाजार, जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ०रूई का पेंच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, माजरा नगला उप्रसैन ग्राम कुधेसर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, मौ०पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्थाना, नगला मोहिउदीनपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, सुनारो वाला मौहल्ला वार्ड नं० 06 कस्वा बी०बी० नगर तहसील स्थाना, जीवन गीत कालोनी निकट रेनेस स्कूल वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम किरा वि०ख० व तहसील खुर्जा, मठ मन्दिर वाली गली सुभाष स्थाना, रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम बोढ़ा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम खैरपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, ग्राम सारसौल वि०ख० अर्निया व तहसील खुर्जा, ग्राम नगला कटक, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, मौ०बाबड़ी नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम धोसीपुरा, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम चित्सौन वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०चैनपुरा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, गली नं० 13 मौ० न्यू शिवपुरी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० खदेशज्ञान नगरीय क्षेत्र खुर्जा, लोहे की टंकी, सुभाष रोड मौ० पंजाबियान नगरीय क्षेत्र खुर्जा, दुर्ग मन्दिर किला रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम मऊ वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०गायत्री नगर नगरीय क्षेत्र जहांगीराबाद, ग्राम महेशपुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम परवाना वि०ख०जहांगीराबाद तहसील स्थाना, मौ०बड़ी होली नियर देवी मन्दिर नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम नगला लुफतीपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम पहासू तहसील शिकारपुर, मौ० सलमा हकान, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम बुढासी वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम स्यारली वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम जवासा नियर बिजलीघर नं०-२ नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भगवानपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम असावरी, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम कियावली वि०ख० व वि०ख० जहांगीराबाद तहसील स्थाना, मौ०मदार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम खुशरूपुर वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम कियावली वि०ख० व तहसील स्थाना, ग्राम करोठी, वि०ख० व तहसील स्थाना, ग्राम पाली आनन्दगढ़ी, वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्थाना, ग्राम चिंगारवली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, रस्तोगी बुक डिपो वाली गली, गॉथी रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ०छपियाना, नगरीय क्षेत्र जहांगीराबाद, मौ०रूई का पेंच कालोनी, नगरीय क्षेत्र जहांगीराबाद, ग्राम भौपुर वि०ख० जहांगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०नवलपुरा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्थाना, ग्राम बरकातपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, ग्राम भैसाखुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्थाना, ग्राम खुशहालगढ़ रोड नेहरूगंज, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम रूपवास वि०ख० व तहसील अनूपशहर, आनन्द वाटिका कालोनी नियर बिजली घर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम धमरावली वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कुदैना वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, सुरजावली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०पटटी हरनाम सिंह, नगरीय क्षेत्र स्थाना, कोट वार्ड कस्वा खानपुर तहसील स्थाना, मौ०नमक मंडी नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम खालौर वि०ख० जहांगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बैर वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, राहत गंज बरखेड़ा हसनगढ़ी विकास खण्ड पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०मुफतीबाड़ा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम भैरपुरा वि०ख० बुलन्दशहर, ग्राम कौलसैना वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सिकन्द्रपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 04.09.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-2455 है, 1351 व्यक्ति होम क्वारेनटाइन में हैं। जनपद में 46 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

प्राप्ति पत्र अमृता, यू.एसी-34/2020

देवा गंगा,

अपर जिलाधिकारी(प्रशारण)

जनपद बुलन्दशहर।

मैंने अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों पश्चिम, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवारी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग अप्राप्त दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परंतु कठिप्पी दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने व अनावश्यक दुकानों पर गोंद प्रक्रिया न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कानूनी नियम जाना समीचीन होगा।

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-सितम्बर 24, 2020

04/09/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर